भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4114

जिसका उत्तर गुरुवार, 07 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है

न्यायिक अवसंरचना पर व्यय

4114 श्री के. सी. राममूर्ति :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा न्यायालयों में न्यायिक अवसंरचना के विकास लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यों को वर्ष 2019-20 में 981 करोड़ रुपये की संस्वीकृति प्रदान करने के बावजूद राज्य केवल 84.9 करोड़ रुपये ही खर्च कर सके, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) सरकार द्वारा लाखों लंबित मामलों को निपटाने के लिए निचली अदालतों में अवसंरचना के महत्व के बारे में राज्यों को समझाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ; और

(ग) निचली अदालतों में न्यायिक अवसंरचना के लिए वर्ष 2022-23 में किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : न्यायपालिका के लिए अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास, का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है । राज्य सरकारों के संसाधनों का संवर्धन करने के लिए, संघ सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को विहित सहभाजन पैटर्न में वित्तीय सहायता प्रदान करके, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रुप से प्रायोजित स्कीम को कार्यान्वित कर रही है। यह स्कीम वर्ष 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही है । 2019-20 के वित्तीय वर्ष के दौरान इस स्कीम के अधीन 982 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है जिसमें से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा 889.65 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया गया है ।

विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के अन्दर आता है । न्यायालय में समय पर मामलों का निपटान अनेक कारको पर निर्भर करता है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की पर्याप्त संख्या, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, अंतवर्लित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् विधिज्ञ, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों और वादकारियों का सहयोग और नियमों तथा प्रक्रियाओं का उचित उपयोजन भी है । केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार त्वरित निपटान और लंबित मामलों में कमी करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करने की विभिन्न पहल की है । न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ दिया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करने के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन का विकास भी है ।

केन्द्रीय स्तर निगरानी समिति प्रत्येक छः मास में न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय हॉल, वकील हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कम्पयूटर कक्ष, और आवासीय ईकाइयों के संनिर्माण की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा भी करती है । इस समिति की बैठकें राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के साथ भी सम्यक रुप से आयोजित की गई थी ।

(ग) : वर्ष 2022-23 के दौरान स्कीम के अधीन बी ई चरण पर 848 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है ।

****